न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर
(पीठासीन अधिकारी श्री भरत राज गुर्जर)
आर.ए.एस.

प्रकरण सं. 44 / 2023

1. फूल सिंह मंवारिया पुत्र विष्णु कुमार मंवारिया, जाति मंवारिया निवासी बान्दनवाडा तहसील भिनाय जिला अजमेर, राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब भिनाय जिला अजमेर

अप्रार्थी

उपस्थितः– श्री त्रिलोक जांगिड़ अधिवक्ता प्रार्थीया
पैरोकार सरकार

निर्णय अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 04.08.23

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम बान्दनवाडा पटवार हल्का बान्दनवाडा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाडा तहसील भिनाय स्थित खातेदारी भूमि खसरा नं. 5928 रकबा 0.26 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी आराजीयात है। प्रार्थी की खातेदारी आराजी में आने–जाने, कृषि उपकरण व प्राप्त उपज फसल को लाने–ले जाने हेतु सिवायचक भूमि खसरा नं. 5929 का वर्षो से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहें है जिस कारण उक्त आराजी पर प्रार्थीगण को सुखाधिकार के अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थीगण की भूमि पर आने–जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात से रास्ता नियमानुसार शुल्क पर दिलवाने का निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी सं. 1 को प्रकरण प्रेषित कर जवाब मय मौका रिपोर्ट तलब की गई। पैरोकार सरकार ने जवाब मय रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिवायचक खसरा भूमि 5929 में से प्रार्थी को रास्ता तहसीलदार भिनाय द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। जिस संबंध में प्रार्थी ने भी सहमति प्रदान की। तत्पश्चात पैरोंकार सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि 5928 में जाने हेतु रास्ता खसरा नं. 5929 में से होकर ही जाता है खसरा नं. 5929 डी.एल.सी. दर 206290/– रू. प्रति हैक्टेयर बताई गई है। चूंकि तहसीलदार भिनाय ने अपने प्रतिवेदन में अवगत कराया है कि यह रास्ता पुश्तैनी चला आ रहा है इसलिए निर्धारित नियमानुसार रास्ते हेतु आरक्षित की जाने वाली भूमि की डबल कोस्ट कायम करना ही उपयुक्त एवं न्यायोचित पाया जाता है। अतः खसरा नं. 5929

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर) राज

में से 842 वर्ग मीटर (92 मीटर लम्बा व 9.15 मीटर चौड़ा) भूमि रास्ते हेतु आरक्षित भूमि 20.63 रु. प्रति वर्ग मीटर राशि 34740/-रू. मुकर्रर की जाती है। प्रार्थी द्वारा राशि राजकोष में जमा कराई जावे। प्रार्थी खातेदार के लिए ग्राम बान्दनवाड़ा पटवार हल्का बान्दनवाड़ा, भू. अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बान्दनवाड़ा तहसील भिनाय स्थित विवादग्रस्त भूमि खसरा नं. 5929 में से 842 वर्ग मीटर भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नं. 5928 तक रास्ता/मार्गाधिकार कायम किये जाने के आदेश पारित किए जाते है तथा तहसीलदार भिनाय को उनके राजस्व नक्शे में दर्शित रास्ते की मौकानुसार तरमीम कर इन खसरा नं. का बट्टा नंबर कायम कर खाते सरकार किस्म रास्ते में लगाने के आदेश पारित किए जाते है।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

04.08.23

(भरत राज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय
भिनाय (अजमेर) राज.